संख्या–1986/37–1–2019–5(64)/2013

प्रेषक,

बी0एल0 मीणा,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक, रोग नियंत्रण एवं प्रक्षेत्र,
पशुपालन विभाग, उ0प्र0,
लखनऊ।

पशुधन अनुभाग–1 लखनऊः दिनांक 10 अक्टूबर, 2019

विषयः–निर्यातोन्मुखी इण्टीग्रेटेड पशुवधशालाओं/मांस प्रसंस्करण इकाइयों में राजकीय पशुचिकित्साविदों द्वारा एपीडा के निदेशानुसार कार्यवाही किये जाने के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक पशुधन अनुभाग–1, उ0प्र0 शासन के पत्र संख्या–4556/37–1–2015–5(64)/2013, दिनांक 13.01.2016 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2– उल्लेखनीय है कि वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना संख्या–82(आर0ई0–2010)/2009–14, दिनांक 31.10.2011 में एपीडा द्वारा रजिस्टर्ड मांस प्रसंस्करण इकाइयों में राजकीय पशुचिकित्साविदों के कार्यों हेतु निम्नवत् व्यवस्था नोट–3 (छायाप्रति संलग्न) में दी गयी हैः–

"Laboratories duly recognised by APEDA, as well as in-house laboratories attached under the abattoirs cum meat processing plants registered with APEDA and Agency approved lab, may also be used to conduct the necessary tests for confirmation the quality under the supervision of the designated veterinary authority of the State. On the basis of these tests and inspections carried out by Vetenarians, duly registered under the Indian Veterinary Council Act, 1984 employed by the exporting unit and supervised by the designated veterinary authority of the State, the veterinary Health Certificate may be issued by the designated authorities of the State." इसका अभिप्राय यह है कि निर्यातक इकाई पशुचिकित्सक स्वयं रखेंगे व शासन द्वारा उस परिक्षेत्र में तैनात पशुचिकित्साधिकारी (पदनाम सहित) द्वारा ही पर्यवेक्षण (सुपरविज़न) व स्वास्थ्य प्रमाण–पत्र निर्गत किया जायेगा।

3– अवगत कराना है कि विभागीय सम्परीक्षा प्रतिवेदनों के भाग–2(अ) के अनिस्तारित प्रस्तरों के निस्तारण के संबंध में आंतरिक सम्परीक्षा समिति की सम्पन्न बैठक दिनांक 05.08.2019 के कार्यवृत्तानुसार स्वास्थ्य प्रमाण–पत्र (एण्टीमार्टम/पोस्टमार्टम को सम्मिलित करते हुए) हेतु पशुवधशालाओं एवं अन्य स्त्रोतों से वसूल की गयी लेवी पूर्ण रूप से जमा नहीं की जा रही है, जो कि समस्त मण्डलों में दिनांक 30 सितम्बर, 2017 तक रू0 42,32,60,606/–(रू0 बयालीस करोड़ बत्तीस लाख साठ हजार छः सौ छः मात्र) है, जिसका विवरण संलग्न है। उक्त अवधि के बाद की आख्या निदेशालय से अपेक्षित है।

4– अतः इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि भारत सरकार की अधिसूचना के उपरोक्त अंशों एवं विभागीय सम्परीक्षा प्रतिवेदनों के कार्यवृत्तानुसार विभिन्न जनपदों में संचालित पंजीकृत पशुवधशालाओं से संबंधित पशुवधशाला में कुल वध किये गये पशुओं के आधार पर शासनादेश संख्या–3519/12–प–2–99–30(37)/99, दिनांक 19.01.2000 निदेशालय के पत्रांक–837/सा0–2, दिनांक 30.03.2008, शासनादेश संख्या–3237/37–1–2010, दिनांक 30.06.2010 द्वारा निर्धारित एण्टीमार्टम/पोस्टमार्टम शुल्क, भारत सरकार

(वाणिज्य मंत्रालय, नई दिल्ली) की अधिसूचना संख्या–82(आर0ई0–2010)/2009–14, दिनांक 31.10.2011 के नोट–3, निदेशालय के पत्रांक–1394/सा0–2/16(ख)लेवी/(231), दिनांक 10.09.2012, शासन के अर्धशा0 पत्र संख्या–2145/37–2–2012, दिनांक 24.07.2012 निदेशालय के पत्रांक–433/सा0–2/16–ख/लेवी(231), दिनांक 22.04.2014 एवं पत्रांक–818/सा0–2/16–ख/लेवी (231), दिनांक 07.07.2014 द्वारा जारी स्पष्ट निर्देशों एवं एपीडा के Indian Meat Industry Red Meat Manual के अध्याय–6 रेग्यूलेशन्स फॉर सेफ मीट एक्स्पोर्टस में निहित व्यवस्था के अनुसार प्रत्येक निर्यातोन्मुखी पशुवधशालाओं हेतु पशुचिकित्साधिकारी द्वारा स्वास्थ्य प्रमाण–पत्र (एण्टीमार्टम एवं पोस्टमार्टम को सम्मिलित करते हुए) निर्गत किया जायेगा। उक्त कार्य हेतु निर्धारित शुल्क की वसूली किये जाने के साथ ही भविष्य में शत–प्रतिशत लेवी कोषागार में जमा कराना सुनिश्चित करेंगे। इसके अतिरिक्त जो पूर्व में देय लेवी, जिसका विवरण संलग्न ऑडिट पैरा के अनुसार तैयार किया गया है, के संबंध में प्रस्ताव भी भेजें।

5– उक्त आदेश एपीडा द्वारा रजिस्टर्ड निर्यातोन्मुखी इकाइयों हेतु ही लागू होगा। नई इकाइयों के लिए प्रतिकर एपीडा द्वारा निर्धारित है।

6– उक्त आदेश निर्यातोन्मुखी इण्टीग्रेटेड पशुवधशालाओं/मांस प्रसंस्करण इकाइयों में राजकीय पशुचिकित्साविदों की ड्यूटी लगाये जाने विषयक पशुधन अनुभाग–1, उ0प्र0 शासन के पत्र संख्या–4556/37–1–2015–5(64)/2013, दिनांक 13.01.2016 को इस प्रकार संशोधित समझा जाये।

संलग्नकःयथोक्त।

भवदीय,

(बी0एल0 मीणा)
प्रमुख सचिव।

संख्या– (1)/37–1–2019,तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– महाप्रबंधक, कृषि एवं प्रसंस्करण खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिककरण (एपीडा), तीसरी मंजिल, एन0सी0आई0यू0 बिल्डिंग, 3 सीरी इन्स्टीट्यूशनल एरिया, अगस्त क्रान्ति मार्ग, नई दिल्ली–110016

2– निदेशक, भारतीय निर्यात निरीक्षण परिषद, वाणिज्य मंत्रालय, भारत सरकार, 11वीं मंजिल प्रगति टावर, राजेन्द्र प्लेस, नई दिल्ली–110008

3– समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0।

4– निदेशक, (प्रशासन एवं विकास), पशुपालन विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।

5– समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

6– समस्त मण्डलीय अपर निदेशक (ग्रेड–2), पशुपालन विभाग।

7– समस्त संबंधित पशुचिकित्साधिकारी/समस्त मुख्य पशुचिकित्साधिकारी।

8– गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(वेदप्रकाश सिंह राजपूत)
संयुक्त सचिव।